

एफ.सं. 2/11/2012-बीएम(भाग-4)

भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास

एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

(बी.एम. अनुभाग)

ब्लॉकसं.3, द्वितीय तल,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 12.3.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 'नदियों के अंतर्गोचन हेतु संसाधन उप-समूहों की स्थापना।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ नदियों के अंतर्गोचन पर संबंधित राज्य की चिंताओं पर ध्यान देने के पश्चात् ज.वि.अ./जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को नदियों के अंतर्गोचन को मजबूत करने के लिए चार उप-समूहों का गठन करता है।

उप-समूहों का संयोजन और विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार दिए गए हैं:-

I. संसाधन समूह-I

(मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा, फरक्का-सुंदरबन और गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखालिके लिए)

1. श्री एम.के. सिन्हा, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री वी.के. चावला, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

II. संसाधन समूह-II

(नेपाल से निकलने वाली कोसी-घाघरा, घाघरा-यमुना, गंडक-गंगा, शारदा-यमुना लिंकों के लिए)

1. श्री के.पी. सिंह, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एम.एस. गुप्ता, पूर्व निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

III. संसाधन समूह-III

(महानदी-गोदावरी एवं सुवर्णरेखा-महानदी लिंक के लिए)

1. श्री डी.के. कौशिक, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एन.जे. सिंह, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

IV. संसाधन समूह-IV

(गोदावरी-कृष्णा लिंक के लिए)

1. श्री एम. इलानगोवन, पूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, बेंगलुरु।
2. श्री एम.डी. राधाकृष्णा, पूर्व निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, बेंगलुरु।

विचारार्थ विषय:-

नदियों के अंतर्गर्जन पर संबंढित राज्य की चिंताओं पर ध्यान देने के पश्चातरा.ज.वि.अ./जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकासएवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को नदियों के अंतर्गर्जन पर निविष्टियां प्रदान करना।

टीए/डीए एवं बैठक शुल्क :-

उक्त समूहों के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए टीए/डीएऔर बैठक शुल्क आदि की शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

(एसकेगंगवार)

वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)

दूरभाष। संख्या 011-24367109

प्रति,

1. उप-समूहों के अध्यक्ष और सदस्यों (संलग्न सूची के अनुसार)।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) के निजी सचिव।
2. सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)के प्रधान निजी सचिव।
3. अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)के निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (पीपी)/जेएस एंड एफए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयके निजी सचिव।
5. महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.।
6. पी.ए.ओ., जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय।